



कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।



वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in

☎ 0651-2481813/9491657014

पत्रांक : 01/यो0ब0-12/2024- 519

दिनांक : 10-08-2026

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2026-27 में कार्यान्वित की जाने वाली "इको टूरिज्म" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत नोवामुण्डी, किरीबुरु को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु **रु0 488.45 लाख (चार करोड़ अठासी लाख पैतालीस हजार रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-08/2019-34/स्वी0 व0प0 दिनांक 19.03.2025 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 4/यो0ब0-08/2019-07A व0प0 दिनांक 22.05.2026।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-46-इको टूरिज्म योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में बजट उपबंध के अंतर्गत कुल **रु0 488.45 लाख (चार करोड़ अठासी लाख पैतालीस हजार रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060110146000103	195.38
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060110146000323	293.07
कुल :-		488.45

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-2** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S24060110146000103, 19S24060110146000323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998, एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा।

(Signature)

5. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।
7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।
10. नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा किया जाएगा। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकती है।
11. ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, इस संबंधी सूचना इस कार्यालय को दी जाए।
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं हो, यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।
13. दो या दो से अधिक स्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा।
14. गत 3 वर्ष में आमदनी का व्यौरा भी स्पष्ट किया जाए। यह राशि कोषागार में जमा की जाए। कंउम सामग्री का निष्पादन विविधत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाए। स्टॉक पंजी इत्यादि तदनुसार सत्यापित एवं update रहे।
15. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था की जायेगी :-
- (i) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाए। वित्तीय वर्ष 2024-25 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।
- (ii) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाए।
- (iii) विभागीय स्थापित Monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार Monitor भारत सरकार के पैट्रन पर योजना Monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।
16. (i) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100% निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (ii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित 100% भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।
- (iii) निरीक्षण प्रतिवेदन तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक इस कार्यालय को समर्पित किया जाएगा।

(iv) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(v) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लिया जाए।

(vi) योजना का ब्यौरा विभागीय JOHAR पोर्टल एवं विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाए

(vii) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्तिकर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(viii) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(ix) Income tax (IT)/ Service Tax (GST/VAT)/ Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

17. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायगा।

(i) सभी यंत्र-संयंत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(ii) वैसे यंत्र-संयंत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक-1204 दिनांक- 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

19. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को तुरंत देंगे। निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

20. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाए।

21. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञांपाक-686, दिनांक-05.02.2016

द्वारा विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

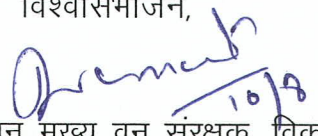
22. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

23. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

24. योजना का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प संख्या 04/यो0ब0-24/2020-2517 दिनांक 24.06.2026 द्वारा निर्गत दिशा-निदेश के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

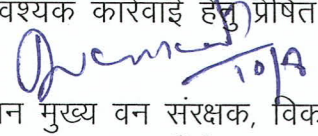
विश्वासभाजन,


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-12/2024- 519 दिनांक- 10-08-2026

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, चाईबासा/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची/पी0एम0यू0 सेल, कार्यालय-वन संरक्षक, योजना अंचल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

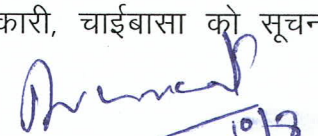
अनुलग्नक :- यथोक्त ।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-12/2024- 519 दिनांक- 10-08-2026

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2026-27 में कार्यान्वित की जाने वाली "इको टूरिज्म" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत नोवामुण्डी, किरीबुरु, को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने से संबंधित उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा

(राशि लाख में)

क्र० सं०	कार्य विवरणी	प्राक्कलित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
वित्तीय वर्ष 2026-27					
10	Electrical Works				
h	Supply and installation of light fixtures and exhaust fans (1 unit)	4.27	1.71	2.56	4.27
i	Telephone, TV, data cabling with raceways (1 unit)	4.74	1.90	2.84	4.74
j	Speakers, fire alarm and detection systems (1 unit)	14.36	5.74	8.62	14.36
k	Internal wiring and final distribution boards (1 unit)	17.21	6.88	10.33	17.21
l	IP based CCTV system (coloured) honeywell or equivalent make only (1 unit)	7.97	3.19	4.78	7.97
m	UPS/solar system (1 unit)	28.00	11.20	16.80	28.00
o	Spilit AC (1 unit)	4.74	1.90	2.84	4.74
p	Installation of electricity distribution network for sail kiriburu township including transport and erecting poles (LS)	20.00	8.00	12.00	20.00
1	Plumbing Works				
a	Plumbing sanitary works, water supply & rain water harvesting (1 unit)	24.58	9.83	14.75	24.58
b	Plumbing system (1 unit)	46.30	18.52	27.78	46.30
c	Stp 30 KLD (1 unit)	22.09	8.84	13.25	22.09
d	Installation of water distribution network from Sail Kiriburu Township (including laying of water pipelines) (LS)	30.00	12.00	18.00	30.00
2	Fire Fighting Work (1 unit)	7.37	2.95	4.42	7.37
3	HVAC Works				
a	Equipment (1 unit)	38.78	15.51	23.27	38.78
b	Mechanical, piping, air distribution electrical (1 unit)	34.61	13.84	20.77	34.61
4	Solar Light (1 unit)	18.41	7.36	11.05	18.41



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/yb-12/2024/519

दिनांक - 10-Aug-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110146000103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 46 - इको-टूरिज्म 00-NA 01 - वेतन एवं भत्ते	53734	SGHFOR011 AVIROOP SINHA D.F.O.SARANDA FOREST DIVISION 03 - मजदूरी	19,538,000.00 रुपये एक करोड पिनचानवे लाख अठतीस हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
2	S 19 24060110146000323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 46 - इको-टूरिज्म 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय	53735	SGHFOR011 AVIROOP SINHA D.F.O.SARANDA FOREST DIVISION 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	29,307,000.00 रुपये दो करोड तिरनावे लाख सात हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये चार करोड अठयासी लाख पैतालीस हजार

48,845,000.00

क्रमिक योग:

(DESETTI VENKATESWARLU)

ADDL PCCE DEV. JHARKHAND